



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 12 जून, 2014

परिपत्र संख्या-अका. 18/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय : सत्र 2014-15 से लागू उद्यमिता विषय (कोड स.066) कक्षा XII का संशोधित पाठ्यक्रम

प्रिय प्रधानाचार्य,

ज्ञान संरचना के स्फुरण एवं धातीय तकनीकी विकास से प्रभावित मौजूदा बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान उद्यमिता विषय के पाठ्यक्रम में संशोधन एवं संवर्धन अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अन्य क्षमता कौशल आधारित शैक्षणिक विषयों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से इसकी माँग और भी अधिक बढ़ गई है। हमें आपके साथ यह साझा करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि कक्षा XI की संशोधित पाठ्य पुस्तक का आप सभी के द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया है।

कक्षा XII की उद्यमिता पाठ्यपुस्तक के संशोधित संस्करण में नए अध्यायों का समावेश किया गया है जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को बाजार की गत्यात्मकता से परिचित कराया जाएगा और परियोजना कार्य के माध्यम से उनमें निहित उद्यम कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस संशोधन का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय अवधारणाओं की बेहतर समझ के लिए कुछ और परिप्रेक्ष्य जानकारी, केस अध्ययन, गतिविधियाँ और नए टेम्पलेट प्रदान करना है, जिन्हें कक्षा XII के पाठ्यक्रम में अधिक गहराई से दिया गया है।

संशोधित पाठ्यपुस्तक सीबीएसई की वेबसाइट www.cbseacademic.in/publications पर उपलब्ध है और मुद्रित प्रति सात कार्यकारी दिवसों में उपलब्ध हो जाएगी। किसी अग्रिम पूछताछ के लिए श्री संदीप सेठी से फोन नम्बर 011-23217128 पर तथा दी गयी मेल आईडी touchsandeep.sethi@gmail.com पर संपर्क करने में संकोच न करें।

भवदीया

हस्ताक्षरित

डॉ. साधना पाराशर

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054

- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)